जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 06.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बाइक चोरी के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

***दिनांक 02.12.2023 को रिलांस मैरेज हाल से मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 1162/2023 धारा 379/411 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था* ।**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण के निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त शैलेश राजभर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी हाडापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को भदाह के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूर्व में दिनांक 30.03.2024 को उक्त अभियोग में अभियुक्त आदित्य उर्फ लूला पुत्र महावीर निवासी ग्राम सुगापंखी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को सरैया गौरापार मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शैलेश राजभर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी हाडापार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 1162/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल– उ0नि0 श्री सुरेश यादव, का0 सुरेश प्रसाद, का0 इन्द्रेश राजभर ।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 06.04.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता सियाराम यादव पुत्र लालजी यादव निवासी नकहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल प्रकाश पाण्डेय, उ0नि0 श्री श्रीराम यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3310 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3310 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत पौली से इवेन्ट संख्या 04869 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में दो पहिया वाहनों के आपस में टकरा जाने से 01 व्यक्ति (रामू पुत्र रामजन्त निवासी रामपुर बाराकोनी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 विमल सिंह, हो0चा0 हर्षनाथ राय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 133 वाहनों से 1,34,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 133 वाहनों से 1,34,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 06.04.2024*

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सन्तकबीरनगर *श्री शशिशेखर सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल *श्री रामकृष्ण मिश्र* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 06.04..2024 को चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान बाराखाल तिराहा के पास अभियुक्त गुड्डू उर्फ बगधर पुत्र स्व0 रामरुप केवट साकिन गगनई राव थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को अवैध एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण - गुड्डू उर्फ बगधर पुत्र स्व0 रामरुप केवट साकिन गगनई राव थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0स0 86/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी - एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री दशरथ , हे0का0 अजय सिंह, हे0का0 बदरे आलम।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 06.04.2024

कूटरचित व गलत तथ्य प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा करने के मामले में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 215/2023 धारा 419/420/467/468/471/120 बी भा0द0वि0, धारा 12 पासपोर्ट अधि0 1967, धारा 7/8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 व 29 पुलिस अधीनियम 1961 व 66/66सी आईटी एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता अरविन्द कुमार पुत्र अजय कुमार निवासी इमिलडीहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर,द्वितीय नाम पता गुलशन अंसारी पुत्र सदरुद्दीन अंसारी निवासी जगदौर थाना निचलौल जनपद महराजगंज (वास्तविक नाम विकास कुमार सिंह उर्फ रोशन सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी सरया खास पोस्ट सिधेगौर थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर) के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था जिसके उपरान्त दिनांक 05.04.2024 को थाईलैण्ड से फ्लाईट के द्वारा लखनऊ एअरपोर्ट पर उतरने के बाद लखनऊ एअरपोर्ट के अधिकारियों द्वारा अभिरक्षा में लेकर जनपद सन्तकबीरनगर पुलिस को सूचित किया गया। जिसके उपरान्त आज दिनांक 06.04.2024 को जनपद सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर मा0 न्यायालय जनपद सन्तकबीरनगर प्रेषित करने हेतु विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री पवन कुमार, का0 मृत्युंजय यादव, का0 बलराम यादव।